डॉ० जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल के विशेष निर्णयों,

घोषणाओं एवं संकल्पों पर एक ठोस नजर

शिक्षा

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यू०जी०सी० वेतनमान एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी नीति-निर्धारण।
- 54000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण एवं 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया और संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के भांति वेतन एवं अन्य सुविधाएं तथा 1600 संस्कृत विद्यालयों एवं 1100 मदरसों को वित्तसहित मान्यता दी गयी।
- 2 अक्टूबर, 1980 के बाद प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों का तात्कालिक प्रभाव से राजकीयकरण किया गया।
- प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया।
- विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में रीडर एवं प्रोफेसर की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान कर 8 हजार से अधिक शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की गयी। हर श्रेणी के शिक्षकों के लिए पेन्सन का प्रावधान किया गया।
- प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गई। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को 50 गाम अंकुरित चना अथवा मुंगफली चुने हुए 197 प्रखंडों में 100 कार्य दिनों तक देने की व्यवस्था की गई।
- संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) को यू०जी०सी० की स्वीकृति के लिए अपेक्षित राशि, भवन एवं भूमि उपलब्ध करयी गयी।
- सरकार द्वारा मैथिली, भोजपूरी, पंजाबी, मगही, संस्कृत एवं बांग्ला भाषाओं की अलग-अलग अकादमी तथा दक्षिण भारतीय भाषा और छोटानागपुर की जन भाषाओं की अकादमियां शोध कार्य एवं इनके प्रसार हेतु स्थापित की गयीं।
- वीरकुअंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सिद्धूकान्हू विश्वविद्यालय, दुमका, आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, मौलाना मजहरूलहक विश्वविद्यालय, पटना और भारती मंडन विश्वविद्यालय, सहरसा की स्थापना की स्वीकृति दी गयी। भारती मंडन विश्वविद्यालय, सहरसा का नाम एवं स्थान परिवर्तित कर राजद सरकार ने बी०एन०मंडन विश्वविद्यालय, मधेपुरा कर दिया।
- विश्वविद्यालय-प्रशासन की स्वायत्तता स्थापना, विश्वविद्यालय सेवा में हरिजनों-आदिवासियों के पदों का आरक्षण, अंको के आधार पर नियुक्तियों में प्रमुखता, छात्रों का विभिन्न निकायों एवं समितयों में प्रतिनिधित्व, बुक बैंकों एवं सहकारिता समितियों का गठन, निम्नवर्गीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, उचित मूल्य पर अध्ययन एवं खाद्य-सामग्रियों की सहायता, अनुशासन और शांति जैसे नये कदमों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यालयों के लिये सरकारी शिक्षकों को नया वेतनमान, विश्वविद्यालयों में नये वेतनमान, उर्दू शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 2,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, 400 गांवों में उपग्रह -दूरदर्शन द्वारा शिक्षादान, नि:शुल्क पुस्तक वितरण, जनजाति के शिक्षा विकास को ढाई करोड़ की योजना, उन्हीं के लिए आवासीय विद्यालय एवं प्रतियोगिता, परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रारंभिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान की प्राथमिकता, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं शोधपार्षद्, विद्यालय संकुल आदि अनेक ऐसे कदम उठाये गये जिनसे शिक्षा का बहु-आयामी विस्तार और छात्रों का कल्याण हो रहा है।
- पिछड़े इलाकों में प्राथमिक कक्षाओं तक छात्र-छात्राओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गयी। शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी और संस्कृत स्कूलों एवं मदरसा के शिक्षकों का वेतनमान भी अन्य शिक्षकों के उच्चतर वेतनमान के समान उत्क्रमित किया गया।

- 3880 निरीक्षित एवं संस्कृत बोर्ड और स्वीकृत विद्यालयों को मान्यता दी गयी। विश्वविद्यालय शिक्षा से इन्टरमीडिएट शिक्षा को अलग कर राज्य सरकार ने इन्टरमीडिएट कौंसिल की स्थापना की गयी।
- विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति हेतु देश में पहली बार आदिवासियों एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इनकी सरकार में पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सभी विभागों में आरक्षण लागू हो।
- परीक्षा में कदाचार रोकने के लिये अधिनियम बनाया गया।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली सभी परीक्षाओ में सभी बेरोजगारों से फीस लेने की व्यवस्था समाप्त की गयी।
- राज्य एवं देश की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज की स्थापना की गयी, जिसमें भवन निमार्ण हेतु 1980-81 में 10 लाख रुपया अनुदान दिया गया।
- डा० मिश्र की सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों तथा मदरसा एवं संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी प्रति वर्ष लगभग 31,000 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती थी उसे बढ़ाकर दुगूनी कर दी गयी, साथ-साथ वर्ष 81-82 में छात्रवृत्ति की राशि की दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी।

अल्पसंख्यक कल्याण

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया।
- मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।
- उर्दू विकास निदेशालय का गठन किया गया।
- 2995 मदरसों को मान्यता दी गयी।
- अन्जुमन तरक्की उर्दू, बिहार को वार्षिक अनुदान देने की परंपरा स्थापित की गयी।
- राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक नवयुवकों को आत्म-नियोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ की वार्षिक पूंजी से अल्पसंख्यक वित्त निगम गठित हुआ।
- बिहार में पहली बार बिहारशरीफ साम्प्रदायिक दंगा के दोषियों में 105 से अधिक व्यक्तियों को विशेष अदालत गठित करके दंडित कराने का कार्य किया गया।
- देश में पहली बार भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में प्रभावित 750 परिवारों के लिए एक-एक लाख रु० मुआवजे का भुगतान कराकर जांच के लिये न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 2000 बुनकर परिवारों को पुर्नवासित किया गया।
- राज्य के मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/ माध्यमिक विद्यालयों को भी प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों की तरह वेतन, भत्ता तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने के लिए हजारों की संख्या में उर्दू अनुवादकों, 1000 से ज्यादा उर्दू टंककों की नियुक्ति की गयी और देश में पहली बार उर्दू टंकण यंत्र खरीद कर कार्यालयों में आपूर्ति करायी गयी।
- प्रत्येक वर्ष 3000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
- राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी शिक्षकों की नियुक्ति को व्यवस्था अनिवार्य की गयी।
- मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों को सरकारी सुविधाएं प्रदान की गयी।
- दंगा की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से सामुहिक जुर्माना कानून बनाया गया।
- जिन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक एवं संस्कति की रक्षा की आवश्यकता की पुर्ति के लिए की गयी थी, उन्हें मान्यता की विहित शर्त्ते पूरी करने पर माध्यमिक विद्यालय के रूप में वित्त सहित मान्यता दी गयी।

- अरबी और फारसी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु राज्य सरकार ने माध्यमिक स्तर तक उनमें से एक विषय की अनिवार्य पढ़ाई का निर्णय लिया। अरबी और फारसी को एक अलग अनिवार्य विषय बनाया गया।
- जिस तरह सेस्कृत शिक्षा की पद्धति में प्रथमा, मध्यमा, उप-शास्त्री एवं आर्चाय स्तरों के पाठ्यक्रम के लिये क्रमशः 8+2+3+2 वर्षो की अवधि निर्धारित की गयी है, उसी तरह की अवधी, वस्तानियाँ, फोकानियाँ मौलवी, आलिम और फाजिल स्तरों के लिए भी निर्धारित की गयी। इस तरह संस्कृत एवं इस्लामिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों मे समानता लायी गयी और उनमें आधुनिक विषयों का समावेश किया गया।
- विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति या प्रवेश पाने हेतु मदरसा परीक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री की मान्यता एवं समकक्षता दी गयी। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति एवं अन्य नियुक्तियों में भी मान्यता दी गयी।
- डॉ० मिश्र की सरकार में उर्दू भाषा-भाषी छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर तक के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें बिहार टेक्सटबुक कारपोरेशन से प्रकाशित करने का निर्णय किया गया था, परंतु उसके बाद की सरकारों द्वारा इसे पूरा नही किया जा सका।
- राज्य के 5 लाख से अधिक बुनकर परिवारों का ऋण माफ किया गया, उन्हें करघा एवं सूत उपलब्ध कराया गया और उत्पादित कपड़ों की खरीदारी सरकार द्वारा 15 प्रतिशत अधिक मूल्य पर करने का प्रावधान किया गया।
- 70 हजार बुनकरों का बीमा कराया गया जिसका रिन्यूअल नहीं हो सका क्योंकि उस सरकार के बाद तत्कालीन राजद सरकार ने अपनी रकम अदा नहीं की।

भ्रष्टाचार नियंत्रण

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की जांच की परिधि में लाने हेतु बिहार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, एवं विधान मंडल के सदस्यों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, विश्वविद्यालय एवं सहकारिता के पदाधिकारियों के लिये चल-अचल सम्पत्तियों की घोषणा अनिवार्य।
- बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचरण निवारण अधिनियम 1983 को 1989 से पूरे राज्य में ल्रागू किया गया जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी, लोकउद्यम के कर्मचारी, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा अनुदानित एजेंसियों के कर्मचारियों, ठेकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्रेताओं, वन उत्पादों की चोरी करने वालों, शराब में मिलावट करने वालों, आय से अधिक सम्पत्ति या वैसी सभी गतिविधियों पर अंकुश रखना था, जो जनहित में नहीं हो। अवैध धन प्रमाणित होने पर उस धन को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया।
- विभिन्न विभागों, विशेषकर कार्य विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि में अनियमित कार्य करने की प्रवृत्तियों में सरकार के कर्मचारी के सहायक होने की प्रवृत्ति को रोकने तथा उससे निबटने के लिये सरकार ने "बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश, 1983" प्रख्यापित किया। इसमें इस प्रकार के अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अथवा उनके पक्ष में पदस्थापन-स्थानांतरण इत्यादि करवाने के लिये गैर सरकारी तंत्र की सहायता लेना दंडनीय अपराध बनाया गया।
- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के विरुद्ध जांच की नयी प्रक्रिया दिनांक 19 फरवरी, 1983 के संकल्प द्वारा लागू की गयी थी, जो निम्न थी:-

  (क) यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप हो तो विधान सभा के कम-से-कम 33 सदस्य आरोप को विस्तार से एवं उपलब्ध साक्ष्य का वर्णन करते हुए लिख कर तथा हस्ताक्षर कर माननीय अध्यक्ष, बिहार-विधान सभा को दें।

  (ख) माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा में राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की समिति में इन आरोपों पर 15 दिनों में विचार करेंगे और आरोप के प्रथम दृष्टया सिद्ध होने की दशा में मुख्य मंत्री को आरोप पत्र भेजेंगे। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री आरोपों से संबंधित सभी कागजात माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को भेज देंगे।

(ग) माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के सभी कागजाजों के साथ विधान-सभा में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को समिति में आरोपों के संबंध में विमर्श करेंगे और अगर समिति संतुष्ट हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध है तो माननीय अध्यक्ष तदनुसार अनुशंसा करेंगे और मख्य मंत्री आगे की कार्रवाई करेंगे।

स्वास्थ्य

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- 80 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास पटना में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 12 फरवरी, 1983 में किया गया।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 1983 में 650 उप-केन्द्र स्वीकृत किये गये। अतिरिक्त 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 50 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रेफरल अस्पतालों की स्थापना की गयी।
- निजी क्षेत्र के श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय, गया, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण कर सरकारीकरण किया गया।
- चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञों एवं 331 अतिरिक्त शय्याओं की वृद्धि, कई चिकित्सा महाविद्यालयों की सुव्यवस्था, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की बंदी, ट्रॉसफ्यूजन और ब्लड बैंक की अधिक व्यवस्था, 15 स्थानों में अस्पताल खोलने की योजना, पटना मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हर 10 हजार आबादी पर एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, कुष्ठ, यक्ष्मा, हैजा-नियंत्रण तथा चेचक उन्मूलन अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक औषधालयों की स्थापना की योजना आदि में उल्लेखनीय उपलब्यिां हुईं।
- राजकीय अस्पतालों में रोगी के लिये राशि की आपूर्ति की गयी एवं इसके साथ ही मरीज के साथ एक सहायक(अटेंडेंट) को भी 1/-रु० प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान की सुविधाएं प्रदान की गयी।
- 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 30 शैय्या का एक रेफरल अस्पताल खोलने की योजना पर काम शुरू किया गया।
- आर०बी०टी० एस० होमियोपैथी कॉलेज, मुजफ्फरपुर का भी 1981 में ही सरकारीकरण किया गया।
- पटना में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना की गयी।
- डा० मिश्र की सरकार में ही विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग में स्थापित किया गया। उसे सशक्त और उपयोग के लिये अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया गया। इस अस्पताल में शारीरिक रूप से अपंग लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये उपयुक्त बनाया जाता है। इस अस्पताल को इस रूप से उपयोगी बनाया गया ताकि चिकित्सा के उपरांत विभिन्न व्यवसायों के प्रति इन्हें प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे चिकित्सा और प्रशिक्षण के उपरांत बच्चे कोई स्वतंत्र व्यवसाय और रोजगार ढूढ सके। अत: इस अस्पताल के साथ 'वर्कशाप' की स्थापना के लिये भी प्रथम चरण में 15 लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

कृषि/सिंचाई/बिजली

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में कृषि/सिंचाई/बिजली के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- कांटी बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना एवं बरौनी, पतरातू बिजली प्रतिस्थापन केन्द्र का विस्तारीकरण किया गया।
- वर्ष 1982-83 में पतरातू तथा बरौनी ताप केन्द्रों में 110-110 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयां स्थापित की गयी। इसी दौरान बरौनी में 110-110 मेगावाट की छठी एवं सातवीं इकाई की भट्ठी भी जलायी गयी थी।
- मुजफ्फरपुर ताप केन्द्र में भी 110-110 मेगावाट की 2 इकाईयों को चालू किया गया।

- तेनुघाट में 210 मेगावाट की दो इकाईयों को चालू किया गया। उसी दौरान भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में केन्द्रीय प्रक्षेत्र में भागलपुर के निकट कहलगांव में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन को स्वीकार किया था, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट थी। वर्ष 82-83 के दौरान बिजली का जितना उत्पादन हुआ उतना उसके बाद के वर्षो में नहीं हुआ।
- पनबिजली निगम की स्थापना की गयी।
- किसानों के हित में कोसी, गंडक, किउल, सोन एवं बडुआ विकास प्राधिकार का गठन किया गया।
- प्रत्येक श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया,जिससे 2.5 लाख निजी नलकूप लगे। 4 हजार से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। किसानों को बकाया सिंचाई शुल्क की माफी के साथ ही सिंचाई शुल्क स्थायी रूप से माफ किया गया। 10 एकड़ तक के जोतदारों के लिये बिजली शुल्क माफ किया गया।
- समतल क्षेत्र की ढाई एकड़ तक जमीन वाले किसान और छोटानागपुर तथा संथालपरगना की 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के यहाँ नवम्बर 1980 तक के बकाये तकावी ऋण को पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया।
- कृषि में संलग्न मजदूरों को न्यूतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में एक-एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन हेतु अतिरिक्त 391 पदों का सृजन किया गया।
- उन्नत बीज के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज के क्रय पर 40 से 45 करोड़ का अनुदान कृषकों को स्वीकृत किया गया। इस पर से वाणिज्य कर और बाजार फी भी माफ कर दिया गया।
- प्रत्येक श्रेणी के किसानों के लिए सिंचाई कर की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और सिंचाई कर की बकाया राशि सामूहिक रूप से माफ कर दी गयी।
- जनवरी, 1996 में केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 16 कृषि सम्बंधी विषयों पर शोध प्रतिष्ठानों की स्वीकृति दिलायी।
- ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में राज्य के सभी 727 प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना और 5 लाख आवास निर्माण का प्रत्येक वर्ष इंदिरा आवास योजना के तहत प्रावधान कराया।
- ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भूमि-अधिग्रहण की व्यापक नीति एवं 'कृषि नीति' का उपास्थापन हुआ, जो बाद में एन०डी०ए० सरकार के कार्यकाल में कार्यान्वित हुआ।

गरीबी उन्मूलन/समाज कल्याण/अनु०जाति/जनजाति कल्याण

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में गरीबी उन्मूलन/समाज कल्याण/अनु०जाति/ अनु०जनजाति कल्याण

के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- गृह विहीन परिवारों की सूची तैयार कराकर 19 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य गरीब परिवारों में से 11 लाख परिवारों को वासगीत स्वामित्व पर्चे वितरित किये गये। आवास स्थल विहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से 3 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ।
- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में इन्होंनें त्रि-सूत्री परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत बूढ़ा पेशन गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के प्रमुख की मृत्यु पर 10,000/-रु० अनुकम्पा अनुदान और गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार के लिये दो बच्चों तक के लिये 500-500/-रु० का अनुदान सम्मिलित था।
- गरीब किसानों को राहत देने के उद्देश्य से महाजनी ऋण की माफी हेतु कानून लागू किया गया और रेहन की जमीन वापसी हेतु अधिनियम बना कर 7 साल के बाद रेहन की जमीन मालिक को स्वत: वापस करने का प्रावधान किया गया।
- 23 लाख वृद्धों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कमजोर एवं गरीब लोगों, विधवाओं एवं बच्चों के लिये मुफ्त सहायता का कानून, 3 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता तथा अधिनियम बनाकर 80 हजार रिक्शा चालकों के लिए रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित किया गया।

- समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। डा० मिश्र की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत उनको राहत देने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि उससे उनकी स्थिति में अपेक्षित उन्नयन नहीं हो सका। इसलिये 35 साल तक की विधवाओं अथवा उनसे विवाह करने वाले 35 वर्ष तक के पुरुषों को सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के छात्रों, दलितों एवं आदिवासी छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति की राशि 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 13.05 करोड़ करने का प्रावधान किया गया और महादलित मुशहर जाति के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिये प्रत्येक छात्र को 30रु० प्रतिमाह भत्ता का भुगतान करने के लिये 9 करोड़ राशि का वार्षिक प्रावधान किया गया।
- आदिवासी बहुल 111 प्रखंडों में जनजाति उपयोजना चालू की गयी। अनुसूचित जाति के लिये दलित अंगीभूत योजना प्रारंभ हुई। इसके अर्न्तगत कुल योजना उद्व्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उप-योजना एवं अंगीभूत योजना के लिये कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ।
- अत्यन्त पिछड़ी जातियों के छात्रों को, दलित जाति के छात्रों के लिये उपलब्ध सुविधाओं का प्रावधान किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये प्रखंड एवं जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ-साथ प्रत्येक प्रखंड में कम से कम चार माध्यमिक विद्यालय और उसमें बालिकाओं के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी। उसी क्रम में 150 प्रोजेक्ट हाई स्कूल स्थापित किये गये।
- सहकारिता के सभी निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया एवं सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिये स्थान आरक्षित किये गये।
- विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश के स्तर पर पहली बार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित हुआ।
- आरक्षण नीति में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्ग के जो लड़के योग्यता के अधिमान में आयेंगे उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। इससे सेवा में पिछड़े वर्गो की संख्या बढ़ी।
- 45000 चौकिदारों को चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों का दर्जा प्रदान कर उन्हें अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति ही वास्तविक वेतन, पेंशन एवं अन्य सुविधायें दी गई। इसके पूर्व समाज के निम्नतम एवं निर्धन वर्गो से आनेवाले चौकिदारों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉ० भीम राव अम्बेदकर द्वारा 1928 एवं 1937 में मुम्बई विधान सभा में विधेयक लाया गया था, परन्तु दुर्भाग्य से दोनों बार पारित नहीं हो सका था। जबकि उन्होंने बिहार के चौकिदारों के बारे में मार्मिक ढंग से वर्णन किया था, जो वक्तव्य अक्षरश: सही और सटीक रही है।
- सहकारी प्रबंध-समितियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए दो तथा लघु अथवा सीमान्त कृषक के लिए तीन स्थानों के आरक्षण के अध्यादेश ने सामाजिक न्याय की समानता को नयी गति दी।
- भू-हदबन्दी के तहत 3,00,000 एकड़ भूमि की प्राप्ति हुई और उसमें से लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित की गयी।
- समाज के कमजोर वर्ग के हित में रिक्शा चालकों को शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से विशेष अध्यादेश जारी करके एवं राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से ऋण की व्यवस्था कर जून, 1976 में सर्वप्रथम पटना में रिक्शा चालकों को रिक्शा का स्वामित्व प्रदान करने की शुरूआत की गयी। इसक्रम में 80 हजार रिक्शा चालकों को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण के लिये उनकी शिक्षा संबंधी सुविधाएं काफी बढ़ा दी गयी। उनके लिए अनुमान्य छात्रवृत्ति की संख्या दुगुनी कर दी गयी और आवासीय विद्यालयों में भोजन, वस्त्र आदि के मद में अनुदान की राशि काफी बढ़ा दी गयी। 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य सभी सुविधाओं के अतिरिक्त 15रु० प्रतिमाह की दर से वर्ष 1981 से प्रेरणा भत्ता भी दिया जाना शुरू किया गया।

- राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को दिये जानेवाले 50रु० प्रतिमाह के सांकेतिक भत्ता को बढ़ाकर 100रु०कर दिया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 30रु० मासिक से बढ़ाकर 60रु० की गई एवं तत्परता से कार्यान्वयन हेतु पृथक् निदेशालय का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप 18 लाख व्यक्तियों को लाभ मिला।
- पंचायती राज व्यवस्था में दलित और अत्यन्त पिछड़ी जातियों के मनोनयन की व्यवस्था कर उनकी सहभागिता स्थापित की गयी।
- बड़े व्यास के कुओं की एक करोड़ की योजना में 5 एकड़ से कम जोत वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को एक सीमा तक वास्तविक व्यय का शत्-प्रतिशत् अनुदान देने का निर्णय लिया गया।
- अनुसूचित जाति बहुल 111 प्रखंडों में अलग से स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- बिचौलियों द्वारा लगातार आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिये वन-पदार्थो की बिक्री के लिये पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर 'वन विकास निगम' की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से सीधे आदिवासियों से वन्य पदार्थो की खरीद की जाने लगी। जिससे आदिवासियों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण छोटानागपुर क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा करने की घटनाएं लगातार प्रतिवेदित होती रहीं। जिसके लिये अभियान चलाकर आदिवासियों की जमीन वापसी की व्यवस्था की गयी।
- छोटानागपुर में 70 के दशक में स्थापित छोटानागपुर विकास प्राधिकार कार्य करने में सफल नही हो पा रहा था, इसलिये इसे अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये इस प्राधिकार को तीन भागों में बांटा गया- 'संथालपरगना प्राधिकार', 'उत्तर छोटानागपुर प्राधिकार' एवं 'दक्षिण छोटानागपुर प्राधिकार-। इन प्राधिकारों को पूर्ण स्वायत्तता देते हुये उन्हें उस क्षेत्र की सभी योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्यवन का कर्त्तव्य सौंपा गया।
- छोटानागपुर प्रमंडल में चलाये जा रहे सभी स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन एवं प्रशासनिक देखभाल के लिये रांची स्थित मुख्यालय में एक लघु सचिवालय की स्थापना करते हुये उसे प्राधिकार से सम्बन्धित सभी मामलों की देखभाल के लिये प्राधिकृत किया गया।
- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में ही रांची, सिमडेगा, पं०सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू जिले के साथ-साथ गोड्डा, देवघर और साहेबगंज जिलों का निर्माण किया गया।
- 15 नवम्बर, 2000 को बिहार से अलग किये जाने के बाद झारखंड में जामताड़ा, लातेहार जैसे कुछ ही जिलों को बनाना झारखंड सरकार द्वारा रह गया क्योंकि डॉ० मिश्र के मुख्यमत्रित्व काल में 1990 में ही उपर्युक्त उल्लिखित जिलों का गठन किया जा चुका था। स्पष्ट है कि डॉ० मिश्र की दूर दृष्टि ने झारखंड की विकासात्मक और प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिये ही सार्थक कदम उठाये थे।
- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में सुल्तानगंज और देवघर के मध्य 8 विश्रामागार बनाये गये जिनका उपयोग सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने वाले पैदल कॉवर लेकर जानेवाले यात्रियों की सुविधा के लिये किये गये। इसी दूरी के लगभग 120 कि०मी० की कंटीली, पथरीले मार्ग को भी कॉवरियों के लिये सुखद बनाया गया।

श्रम एवं नियोजन

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गयी।
- कृषि में संलग्न मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से डॉ०मिश्र की सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक-एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन हेतु अतिरिक्त 391 पदों का सृजन किया।
- शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार में लगने के अधिक मौके दिलाने के लिए कारगर कदम उठाये गये। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से इन्हें सहायता दिलाने के निमित्त 10 से 15 प्रतिशत तक 'सीड मनी' के रूप में सरकारी साहाय्य की व्यवस्था की गयी।
- शिक्षित बेरोजगारों को अनियोजन सांकेतिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया। यह योजना 1 अक्टूबर, 1981 पूरे राज्य में लागू की गयी।

- राज्य से प्रखंड स्तर तक कृषि मजदूरी तय करने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सुधार किया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूर्व में 30 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुमान्य थी। 1980-81 में 23 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के अतंर्गत आच्छदित किया गया। एक अभियान के द्वारा इस स्कीम के जरिये पेंशन के योग्य सभी लागों को आच्छादित किया गया और पेंशन की राशि 30 से बढ़ाकर साठ रुपये प्रतिमाह कर दी गयी।
- वर्ष 1980-81 से दो लाख शिक्षित बेरोजगारों को जो पचास रुपये प्रतिमाह की दर से सांकेतिक भत्ता दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर पचास रुपये के बदले एक सौ रुपये प्रतिमाह स्वीकृत की गयी ओर दो लाख के बदले तीन लाख पढ़े-लिखे बेरोजगारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया गया।
- पढ़े-लिखे बेरोजगारो के लिये निजी व्यवसाय के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको से पच्चीस हजार रुपये तक का कर्ज अनुंमान्य है। ऐसे बेरोजगार युवकों को जिन्हें बैंको से 25,000/-रुपये तक का कर्ज मिलता था उन्हें एक हजार से पाँच हजार तक विशेष अनुदान स्वीकृत किये गये।
- सीमान्त लघु किसानों एवं भूमिहीनों के लिये कार्यरत दुर्घटना सहायता स्कीम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अप्राकृतिक किसी प्रकार की मृत्यु के आश्रित परिवार को दो हजार के बदले दस हजार रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायगा।

उद्योग

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में उद्योग के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- औद्योगिक विकास के लिये नवम्बर, 1980 में एक व्यापक औद्योगिक नीति घोषित की गयी। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बोकारो, आदित्यपुर एवं रांची विकास प्राधिकारों तथा 37 औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना की गयी।
- पंडौल, सिवान, रांची एवं भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना की गयी।
- राज्य में दुग्ध उत्पादन केन्द्र एवं दूध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना की गयी जो आज सुधा डेयरी के नाम से विख्यात है। इसके लिए श्वेत क्रांति के जनक डॉ० वर्गीज कुरियन को गुजरात से आमंत्रित कर उनसे योजना का प्रारूप और मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्य आरंभ कराया गया।
- दरभंगा में औद्योगिक विकास प्राधिकार की स्थापना। मधुबनी जिले के पंडौल में 300 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया।
- उद्योगों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं तथा भूमि, जल विद्युत आदि की उपलब्धि के सम्बन्ध में एक ही स्तर पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था की गयी। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर इन मुद्दों पर निर्णय लेने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य के हित में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को ट्रांसफर ऑफ स्टाक के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। अतः केन्द्र सरकार में मांग की गयी कि राज्य सरकार को "कन्साइनमेंट टैक्स" लगाने का अधिकार दिया जाय।
- बिहार को आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही **'सेस' (Cess)** लगाने का अधिनियम पारित किया गया, जिससे बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500-600 करोड़ होने लगी।

पथ/रेलमार्ग

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में पथ/रेलमार्ग के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- पुल निर्माण निगम की स्थापना की गयी।
- अप्रैल 1982 से लोक-निर्माण विभाग को विभाजित कर पथ निर्माण विभाग का पृथक सृजन किया गया।
- आरा-बक्सर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर-छपरा, सीवान-गुठनी, पूर्णिया-मुरलीगंज, सहरसा एवं महेशखूंट, पनसलवा-सोनबरसा राजपथ विस्तृत और सुदृढ़ किये गये। डूमरी घाट पर पीपापुल, रांची-चाईबासा पथ पर रेल का ऊपरी पुल तथा दामोदर, सिकरहना और दक्षिण कोयल नदियों पर उच्चस्तरीय पुल, समस्तीपुर, बेगूसराय का

रेलवे पुल और बक्सर का गंगापुल के निर्माण की दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई। पुल-निर्माण निगम की स्थापना ने काम को आगे बढ़ाया।

- 590 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों को चौड़ा और मजबूत करने का निर्णयं
- 11 नवम्बर, 1981 को डाल्टेनगंज के निकट उत्तर कोयल नदी पुल निमार्ण कार्य पूरा कर यातायात के लिये खोल दिया गया।
- 1970 में प्रारंभ किये गये पटना के गंगा सेतु के निमार्ण हेतु राज्य-योजना के अन्तर्गत विशेष धन आवंटित कर पुल निर्माण कार्य पूरा कराया गया, तदुपरांत इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 2 मई, 1982 में किया गया। पुल को दो लेन से परिवर्तित कर चार लेन करने का निर्णय लिया गया। आधुनिक बिहार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

विधि-व्यवस्था

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- विधि-व्यवस्था को सुदृढ़, ठोस एवं प्रभावकारी बनाने के लिए प्रशासन की बागडोर संभालने के बाद राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये।
- 150 नये थानों की स्थापना एवं 150 सहायक थानों के पूर्ण थाना के रूप में उत्क्रमण को कार्यरूप दिया गया। कुल 70 नये अंचलों का सृजन किया गया।
- प्रमुख शहरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये।
- पुलिस कर्मियों की व्यवस्था में तीव्रता लायी गयी।
- अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिये पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां तथा हजारीबाग में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी।
- देश में पहली बार भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा से उत्पीड़ित परिवारों के लिये एक-एक लाख रुपया मुआवजे का भुगतान कराकर जांच के लिये न्याय आयोग का गठन किया गया।
- जमशेदपुर में साम्प्रादायिक दंगे के पूर्व जितेन्द्र ना० आयोग के प्रतिवेदन को इनकी सरकार ने कार्यान्वित किया।
- बिहारशरीफ दंगे के बाद 2 बैटेलियन बी०एम०पी० का गठन एन्टी राइट फोर्स के रूप में किया गया जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण अनु० जाति/जनजाति के लिये किया गया।
- दंगे से प्रभावित अल्पसंख्यक कैम्पों में अलग से-अलग पुलिस टुकड़िया भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.)दर्ज कराया गया, जिससे लगभग 1000 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ।
- अपराध रोकने के लिये विशेष क्राइम कंट्रोल नियम पारित किया गया।
- बिहार की काराओं में विचाराधीन कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराया और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी।

विविध कार्य

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में ठोस विविध उपलब्धियां निम्नांकित रही है:-

- मुख्यमंत्रित्व काल में प्रतिदिन 'जनता दरबार' लगाकर आम लोगो की शिकायतों को सुनने की परम्परा सर्वप्रथम इनके द्वारा ही शुरू की गयी। सप्ताह में 6 दिन जनता दरबार चलाया जाता था। जनता के सारे आवेदन-पत्र डा० मिश्र स्वंय देखा करते थे, इसके चलते रात के दो-तीन भी बज जाते थे। जिसकी परवाह नहीं करते थे। अगले सुबह ही उन आवेदनों पर कार्रवाई की जाती थी।
- कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता अधिनियम बनाया गया।
- 1980 में सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की गयी।
- इनकी सरकार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में नगर निगम की स्थापना की गयी।
- पर्यटन निगम की स्थापना की गयी।

- देश में पहली बार विधायक विकास फंड की शुरूआत की गयी।
- इनके शासनकाल में ही विधायकों के अनुशंसा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपये की राशि, प्रत्येक पंचायत के लिये 5 चापाकल और प्रत्येक वर्ष 5 कि०मी० ग्रामीण सड़क के निर्माण की स्वीकृति का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 1976 में पहली बार बिहार में विधायक पेंशन योजना अधिनियम द्वारा लागू किया गया।
- 1962 से मृतप्राय जिला बोर्ड को पुनः संगठित कर जीवन्त किया गया उसमें विशेषता यह थी कि सरकार की ओर से 10 अत्यन्त पिछड़ा दलित आदिवासी सदस्यों का मनोनयन किया गया।
- 1978 में श्री कर्पूरी ठाकुर के कायकाल में पंचायत स्तर तक चुनाव सम्पन्न हुआ था। डॉ० मिश्र के कार्यकाल में प्रखंड और जिला स्तरो पर चुनाव सम्पन्न कराया गया।
- नये जिला परिषद् अधिनियम के अनुसार छोटानागपुर में जिला परिषदों का कार्यान्वयन हुआ था तथा शेष बिहार में जिला परिषदों एवं प्रखंड स्तरीय चुनाव कराकर 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण बिहार में जिला परिषद् का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशेष रूप से दलित और पिछड़ों का आरक्षण किया गया। उसी समय जिला परिषदों को वित्तीय शक्तियों से लैस किया गया और वह जिला परिषद् पूरे 5 साल की अवधि पूरी कर सकी।
- इनके समय में ही निर्णय लिये गये कि जो सड़कें राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिये आरक्षित नहीं है, शेष सड़को के लिये निजी बस चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र की प्रणाली समाप्त कर दी जाय। शिक्षित बेरोजगार (मैट्रिक से ऊपर) का कोई व्यक्ति या ऐसे लोगो की सहकारी समितियाँ, जों भी जितनी बस चलाना चाहे, के लिये बसों के पंजीकरण के बाद बस चलाने की अनुमति की छूट दी गयी।

- केन्द्रीय चालित योजना के अन्तर्गत सभी पंचायतों में क्रीड़ा-केन्द्र खोलने की योजना चलायी गयी। इसमें प्रत्येक पंचायत में क्रीड़ा-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह क्रीड़ा-केन्द्र पंचायत में किसी उपयुक्त स्थान पर रहेगा जिसके लिये उच्च विद्यालय तथा मध्य विद्यालय विशेष तौर पर उपयुक्त होंगे। इस क्रीड़ा-केन्द्र पर 1200/-रु० खर्च होने का अनुमान लगाया गया जिसमें से 600 रु० भारत सरकार से उपलब्ध होंगे। डा० मिश्र की सरकार की मंशा रही कि क्रीड़ा-केन्द्र सभी 11,000 पंचायतों में कायम कर दिये जायँ।

<u>उपर्युक्त कार्यो के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सोच, लिये गये निर्णय एवं किये गये कार्यो से सम्बन्धित कुछ मुख्य शीर्षक नीचे दर्शायी जा रही है जिनकी विस्तृत जानकारी सद्यः प्रकाशित पुस्तक में मिलेगीः-</u>

1. छात्रवृत्तियों में वृद्धि, 2., आवासीय मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं बुक बैंक। 3. हिन्दी के विकास के लिये हिन्दीतर भाषियों का सम्मान, 4. विभिन्न विषयों और विधाओं की पुस्तकों पर पुरस्कार।, 5.उर्दू समाचार पत्रों का उन्नयन। 6. निगरानी विभाग का पुनर्गठन। 7. कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 8. विशेष जिला ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम। 9. नया 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कराना। 10. गृह-स्थल एवं आवास। 11. बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम। 12. अनुसूचित जातियों के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानें। 13. अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता। 14. दहेज प्रथा पर प्रहार। 15. स्व-नियोजन योजना। 16. कृषक-दुर्घटना साहाय्य-योजना। 17. अनियोजित भत्ता। 18. बिक्री कर की छूट, सेट ऑफ। 19. पुराने एवं बीमार उद्योगों का पुनर्स्थापना एवं उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि। 20. हस्तकरघा एवं छोटे उद्योग। 21. उत्पादन के लिये उत्प्रेरणा। 22. लोक उद्यम का पुनःस्थापन। 23.पंचायत समितियों को अपने क्षेत्र में विकास के लिये अनुदान। 24. प्रशासनिक पुनर्गठन। 25. प्रखंड पुनर्गठन आयोग। 26 अवर सेवा चयन पर्षद् का गठन 27. विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली। 28. नियुक्ति में आरक्षण। 29. न्यूनतम मजदूरी। 30.पत्रकार पेंशन योजना। 31. अधिवक्ता कल्याण कोष। 32. साहूकार अधिनियम का कार्यान्वयन।33. सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान। 34.ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन। 35. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 36.राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम। 37. भूमि सुधार, भू-सर्वेक्षण, भ-हदबंदी. बटईदारी से संबधित कार्यक्रम। 38.आदिवासियों की हड़पी गई जमीन की वापसी। 39.साहूकार ऋण-मुक्ति कार्यक्रम। 40.राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। 41.बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं। 42.भू-अर्जन एवं पुनर्वास। 43.भिक्षुक गृह की स्थापना। 44.ठीका मजदूर उन्मूलन। 45. प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना। 46.नियोजन गारंटी योजना। 47. श्रमिक सहभागिता योजना। 48.हस्तकरघा

एवं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन। 49.गोबर गैस एवं बायो-गैस कार्यक्रम। 50.दलहन विकास, तेलहन विकास एवं सब्जी विकास कार्यक्रम। 51.महिला पॉलिटेकनिक की स्थापना। 52.हरिजन एवं आदिवासी छात्रों के लिये प्री-कोचिंग की सुविधा। 53.महिला औद्योगिक विद्यालय की स्थापना। 54.अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। 55.बैंकिग सेवाओं में विस्तार। 56.ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 57.भंगी मुक्ति अभियान।

डा० मिश्र ने उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त और भी अनेक कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक समरसता के हित में चलाए। ऊपर उनके द्वारा किये गये कार्यो का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा मात्र ही दिया गया है। इनमें राज्य हित में इससे भी अधिक करने की आकांक्षा थी, लालसा थी तथा सचमुच ये बहुत कुछ करना चाहते थे, परन्तु अपनी सरकार के स्थायित्व के अभाव में सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नही हो पाये।

प्रकाशक